

कार्यालय रिटर्निंग अधिकारी नगर निगम अजमेर एवं अति.जिला मजिस्ट्रेट (शहर) अजमेर

क्रमांक :- आरओ/2015/२८८८-२०१५

दिनांक : 09/08/2015

निमित्त :

_____ अभ्यर्थी,

वार्ड संख्या

विषय :- नगर निगम आम चुनाव 2015

प्रसंग :- चुनाव व्यय का लेखा-जोखा प्रारूप 'क' में चुनाव परिणाम घोषणा के 3 दिवस में प्रस्तुत करने बाबत।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत नगर निगम चुनाव 2015 के अन्तर्गत राजस्थान नगरपालिका (वाहनों एवं लाउडस्पीकरों के उपयोग तथा पोस्टरों, बैनरों आदि के प्रदर्शन पर प्रतिबंध) आदेश 2014 के अन्तर्गत चुनाव परिणाम की घोषणा के तीन दिवस में नगर निगम के किसी सदस्य के चुनाव में अधिकतम 80000 रुपये तक के पोस्टर एवं बैनर मुद्रित कराए जा सकते हैं। इस संबंध में कृपया निम्न निर्देशों की पालना सुनिश्चित करें:-

1. किसी मतदान बूथ भवन के 200 मीटर के क्षेत्र में पोस्टर-बैनर नहीं लगावें।
2. मतदान के दिन मतदान केन्द्र के बाहर (अभ्यर्थी द्वारा लगाया जाने वाले बूथ) पर अधिकतम साईज 2 X 5 फीट का बैनर लगाया जा सकता है।
3. पोस्टर एवं बैनर नगर निगम अजमेर से लिखित अनुमति लेकर ही लगाए जा सकेंगे।
4. अनाधिकृत स्थान पर पोस्टर एवं बैनर लगाए जाने पर राजस्थान संपत्ति विरूपण अधिनियम 2006 के प्रावधान लागू होंगे एवं संबंधित के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी।

उक्तानुसार आदर्श आचार संहिता एवं सभी नियमों की पालना सुनिश्चित करें। तथा वास्तविक व्यय का लेखा-जोखा संलग्न प्रारूप 'क' में चुनाव परिणाम घोषणा के 3 दिवस के भीतर अद्योहस्ताक्षरकर्ता रिटर्निंग अधिकारी के कार्यालय में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

संलग्न :- उक्तानुसार।

(हरप्रूल सिंह यादव)

रिटर्निंग अधिकारी
नगर निगम चुनाव
एवं ए.डी.एम (सिटी) अजमेर

प्रारूप - क

..... नगर निगम / नगर पालिका/ नगर पालिका मण्डल*
वार्ड संख्या के सदस्य पद के लिए निर्वाचन

निर्वाचन में अभ्यर्थी के द्वारा मुद्रित या तैयार कराये गये पोस्टरों, बैनरों के विवरण संबंधी घोषणा

1.	अभ्यर्थी का नाम	
2.	अभ्यर्थी के पिता का नाम	
3.	अभ्यर्थी का पता	

4. अभ्यर्थी और उसके निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा तैयार कराये गये बैनरों का विवरण :-

(क)	तैयार कराये गये बैनरों का प्रकार व उनकी संख्या (अलग-अलग विवरण देवें)	
(ख)	तैयार कराये गये बैनरों पर व्यय की गई राशि	
(ग)	बैनर तैयार कराने वाले व्यक्ति या फर्म का नाम व पता ।	

5. अभ्यर्थी और उसके निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा मुद्रित कराये गये पोस्टरों का विवरण :-

(क)	पोस्टरों का आकार व संख्या	
(ख)	मुद्रक का नाम व पता जहाँ से मुद्रित कराया गया	
(ग)	मुद्रण पर किया गया व्यय	

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर

नाम :

पूरा पता :

मैं सत्य निष्ठा से प्रमाणित करता हूँ कि मेरे द्वारा किया गया उपरोक्त विवरण मेरी जानकारी के अनुसार पूर्णतः सत्य है और सही है।

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर

*जो लागू न हो उसे काट दीजिए।

नोट :- अभ्यर्थी द्वारा चुनाव परिणामों की घोषणा के तीन दिवस के भीतर उक्त प्रपत्र भरकर निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी को प्रस्तुत करना होगा अन्यथा सक्षम न्यायालय में परिवाद प्रस्तुत किया जावेगा।